

कार्यालय: अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या-2 भीलवाड़ा

दिनांक : १९.05.2021

:: सूचना ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 10/पी.आई./2021 दिनांक 24.05.2021 एवं क्रमांक 5/पी.आई./2021 दिनांक 19.04.2021 के निर्देशानुसार दिनांक 25.05.2021 से 08.06.2021 तक अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई जरिये माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश के आदेश क्रमांक 225/स्था/2021 दिनांक 24.05.2021 के अनुसार निर्देशित न्यायालयों द्वारा की जायेगी।

अन्य ऐसे मामले जो अत्यावश्यक प्रकृति के नहीं हैं उनको स्थगित कर कॉमन डेट्स दी जाकर दिनांक 25.05.2021 से 08.06.2021 तक सुनवाई हेतु नियत नियमित दिवानी (अंतरिम व्यादेश/स्थगन मामलों के अलावा), निष्पादन प्रार्थना पत्र, नियमित आपराधिक, विविध आपराधिक (जमानत व सुपुर्दगी के अलावा), परिवाद, आदि सभी मामलों में निम्न तालिका के अनुसार आगामी कॉमन डेट्स नियत की जाती है-

क्र.सं.	पूर्व नियत पेशी दिनांक	प्रकरण जिनमें अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।	दीवानी मामले	आपराधिक मामले
1.	25.05.2021	07.06.2021	07.08.2021	19.07.2021
2.	26.05.2021	08.06.2021	09.08.2021	20.07.2021
3.	27.05.2021	09.06.2021	10.08.2021	22.07.2021
4.	28.05.2021	10.06.2021	11.08.2021	26.07.2021
5.	29.05.2021	11.06.2021	12.08.2021	27.07.2021
6.	31.05.2021	14.06.2021	13.08.2021	28.07.2021
7.	01.06.2021	15.06.2021	16.08.2021	29.07.2021
8.	02.06.2021	16.06.2021	17.08.2021	30.07.2021
9.	03.06.2021	17.06.2021	18.08.2021	31.07.2021
10.	04.06.2021	18.06.2021	20.08.2021	02.08.2021
11.	05.06.2021	19.06.2021	21.08.2021	03.08.2021
12.	07.06.2021	21.06.2021	23.08.2021	04.08.2021
13.	08.06.2021	22.06.2021	24.08.2021	05.08.2021

अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या-2 भीलवाड़ा

क्रमांक : 609

दिनांक : 25.5.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. नोटिस बोर्ड
2. अध्यक्ष जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा
3. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा जिला न्यायालय, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि, उक्त आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।

अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या 2, भीलवाड़ा (राज.)